न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] 191/2018

1. [illegible] पुत्र नेनगा जाति कलाल निवासी मऊ तहसील मांगरोल
2. [illegible] पुत्र नेनगा जाति कलाल निवासी मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. कमला बाई पुत्री छीतरलाल
2. द्रोपदी बाई पुत्री छीतरलाल
3. जगन्नाथ बेवा छीतरलाल
4. रामस्वरूप पुत्र माधोलाल
5. शांती बाई पुत्री माधोलाल
6. कांती बाई पुत्री माधोलाल
7. मनभर बाई पुत्री माधोलाल
8. संतोष बाई पुत्री माधोलाल
9. लक्ष्मी बाई बेवा माधोलाल
10. प्रेम बाई पुत्री माधोलाल
11. भैरूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी डाबरी तहसील सांगोद जिला कोटा
12. दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी डाबरी तहसील सांगोद जिला कोटा
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांक: 27.12.2018 निर्णय दिनांक : 30.01.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की आराजी ग्राम मऊ की खाता संख्या नई 98 एवं पुरानी 104 खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 876 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 946 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1325 रकबा 1.35 है0, कुल किता 5 रकबा 3.76 है0 स्थित है। इसी प्रकार ग्राम मोरडी में खाता संख्या 55 पुराना 41 खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0 स्थित है जो बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। इसी प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 ता 10 के पिता नेनगा पुत्र कंवर लाल तथा प्रतिवादीगण नं0 11 तथा 12 के शामलाती रूप से ग्राम मऊ के खाता सं0 227 की हाल खसरा नं0 433 रकबा 2.01 है0 भूमि शामलाती रूप से बतौर खातेदार कृषक दर्ज है जिसमें प्रतिवादीगण कम 11 व 12 का हिस्सा 2/3 तथा प्रतिवादी का हिस्सा 1/3 दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता नेनगा पुत्र कंवरलाल एक रजिस्टर्ड वसीयत करवाकर उप पंजीयक मांगरोल के 14/12/66 के करवायी थी जिसमें उपरोक्त वर्णित आराजी का पृथक विभाजन कर दिया [illegible]

ग्राम मोरडी के रामचन्द्र पुत्र नेनगा वादीगण कम 1 मोरडी की खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0, वादी क्रम 2 तथा प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का हिस्सा ग्राम मऊ 1325 रकबा 1.35 है0 तथा खसरा नं0 376 रकबा 0.16 के 0.12 है0, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0 तथा खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0 तथा ग्राम मऊ की प्रतिवादीगण 10 तथा 11 के साथ स्थित भूमि खसरा नं0 423 की 2.01 है0 में 0.50 भूमि वादी नं0 2 तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 के हिस्से में दी गई।

02. इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 4 ता 10 के हिस्से में ग्राम मऊ की 946 रकबा 1.34 है0 तथा खसरा नं0 876 की 0.16 है0 में से 0.04 हे0 तथा प्रतिवादी नं0 10 ता 11 के हिस्से में 423 की 2.01 है0 में से 1.57 है0 बंटवारे में दी गई उसी के अनुरूप वादीगण तथा प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है।

03. वादी कम 1 को 1.54 है0 ग्राम मोरडी तहसील मांगरोल में तथा वादी कम 2 को ग्राम मऊ में खसरा नं0 1.35 है0 तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 को 1.44 है0 ग्राम मऊ में तथा प्रतिवादी नं0 4 ता 10 के हिस्से में ग्राम मऊ की 1.38 है0 ग्राम प्रतिवादी कम 11, 12 के हिस्से में 1.51 है0 भूमि आयी है। उसी के अनुरूप वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त अनुसार आराजी के हिस्से मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमियां वादीगण तथा प्रतिवादीगण के शामलाती रूप से कृषक दर्ज है। इसलिसें वादीगण उक्त भूमियां शामलाती रूप से नही रखना चाहते है। तथा पृथक–पृथक खाता दर्ज करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी पारित की जावें कि वादी कम 1 के ग्राम मोरडी की खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0 पृथक दर्ज की जावें। व वादी कम 2 के ग्राम मऊ की खसरा नं0 1325 रकबा 1.35 है0 तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के ग्राम मऊ की खसरा नं0 376 रकबा 0.12, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 423 रकबा 0.50 है0 पृथक दर्ज की जावें। प्रतिवादी नं0 4 ता 10 के ग्राम मऊ की खसरा नं0 946 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 876 रकबा 0.04 है0 कुल 1.38 है0 पृथक दर्ज की जावें तथा प्रतिवादी नं0 11 ता 12 के खसरा नं0 423 रकबा 1.51 है0 भूमि पृथक–पृथक दर्ज की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 27.12.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 4 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश राजावत ने वकालत नामा दिनांक 01.06.2005 को प्रस्तुत किया एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 4 ता 12 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है। एवं वाद वादीगण स्वीकार किया है। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप नागर ने जवाब दावा

[illegible] अनुसार वाद पत्र की समस्त मद अस्वीकार कि है एवं निवेदन किया है कि वादीगण [illegible] में ग्राम मऊ और महलपुर में आराजीयात होना वर्णित किया है जबकि महलपुर में कोई [illegible] नहीं है, न ही उसका कोई विवरण दिया गया है, प्रतिवादी कम 2 व 3 खातेदार नही है दावे के [illegible] अनुसार उन्हे खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है घोषणा के दावे के लिये राजस्थान [illegible] की धारा 80 सी0पी0सी को नोटिस दिया जाना दावें में उसका उल्लेख किया जाना व नोटिस की अवधि 60 दिन पूरा होना आवश्यक है, अतः दावा चलने योग्य नही है। स्वर्गीय नेनगा के 4 पुत्र छीतरलाल, माधोलाल, प्रभूलाल और रामचन्द्र हुये है, छीतरलाल की एक मात्र वारिस कमला बाई उसकी पुत्री है इन्तकाल नं0 55 ग्राम मोरडी से छीतरलाल के 1/4 हिस्से पर उसके खातेदारी हकूक स्वीकार किये हुये है जिन्हे चुनौती नही दी गई है। अतः काउन्टर क्लेम के रूप में ग्राम मोरडी की खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0 के 1/4 हिस्से तथा ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 423 रकबा 2.01 है0 के नैंनगा के 1/3 हिस्से के छीतरलाल का हिस्सा 1/12 से तथा ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 876 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 946 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1325 रकबा 1.35 है0 कुल 3.76 है में छीतरलाल के हिस्से 1/4 में आराजीयात का बंटवारा कराकर अपना खाता अलग कराने व अलग से राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने व बंटवारे में प्राप्त आराजीयात का अपने काउन्टर क्लेम में कब्जा पाने की अधिकारणी व प्रार्थी है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादीनी कमला बाई का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 423 रकबा 2.01 है0 का 1/12 हिस्सा तथा ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 876 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 946 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1325 रकबा 1.35 है0, किता 5 रकबा 3.67 है0 का 1/4 हिस्सा तथा आराजी खसरा नं0 27 ग्राम मोरडी रकबा 1.54 है0 के 1/4 हिस्से में कमला बाई का बंटवारा किया जाकर उसका खाता अलग किया जावें।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.01.2019 को वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की फाईनल बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपने वादी पत्र व जवाब दावा व काउन्टरक्लेम में अंकन किया गया है। एवं आराजी पृथक–पृथक दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। अतः सुनी गयी फाईनल बहस, प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी ग्राम मऊ सम्वत 2059–62 प्रदर्श 1, कुल किता 5 रकबा 3.67 है0 जमाबंदी ग्राम मऊ खाता संख्या 227 सम्वत 2059–62 खसरा नं0 423 रकबा 2.01 प्रदर्श 2 है। प्रदर्श 3 ग्राम मोरडी जमाबंदी खाता संख्या 55 खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0 की है। तथा रसीद लगान प्रदर्श 4 से प्रदर्श 19 तक की वादी द्वारा प्रस्तुत है। तथा प्रदर्श 20 निष्ठा पत्र

[illegible] है। प्रदर्श 21–14.12.1966 सब रजिस्ट्रार मांगरोल द्वारा विधिवत बंटवारा पत्र है। [illegible] गवाहान वादी पीडब्ल्यू 1 रामचन्द्र पुत्र नेनगा, पीडब्ल्यू 2 गोपाललाल पुत्र भैरूलाल [illegible] पुत्र मांगीलाल डीडराइटर मांगरोल के बयान लेख बद्ध किये गये। प्रतिवादी कम 1 की [illegible] कोई गवाह व सबूत पेश नही किये गये। अतः उक्त दस्तावेज व बयान गवाहान व प्रतिवादी कम 4 [illegible] के इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी कम 1 कमला बाई पुत्री छीतरलाल खारिज किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त के आधार पर निम्नानुसार आराजी का खातेदार घोषित किया जाता हैः–

01. वादी कम 1 रामचन्द्र पुत्र नेनगा जाति कलाल को ग्राम मोरडी की खसरा नं0 27 रकबा 1.54 है0 ।

02. वादी कम 2 प्रभूलाल पुत्र नेनगा जाति कलाल को ग्राम मऊ की खसरा नं0 1325 रकबा 1.35 है0।

03. प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को ग्राम मऊ की खसरा नं0 376 रकबा 0.12, खसरा नं0 1292 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 422 रकबा 0.46 है0, खसरा नं0 423 रकबा 0.50 है0।

04. प्रतिवादी नं0 4 ता 10 को ग्राम मऊ की खसरा नं0 946 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 876 रकबा 0.04 है0 कुल 1.38 है0

05. प्रतिवादी नं0 11 ता 12 को ग्राम मऊ की खसरा नं0 423 रकबा 1.51 है0।

तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।